

राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दण्डिक अपील संख्या-131/2011

असलम चिश्ती व अन्य

-: बनाम:-

राजस्थान राज्य

आदेश दिनांक:-

07.04.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री रवि कासलीवाल, अधिवक्ता अपलार्थीगण ।

श्री एन.एस. शेखावत, विद्वान लोक अभियोजक ।

अधिवक्ता प्रार्थी/ अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि लोक अभियोजक को आज ही उपलब्ध करवायी जावे । लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा । प्रकरण दिनांक 18.04.2017 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे ।

(न्यायाधीश प्रशान्त कुमार अग्रवाल)